ई-मेल

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–Go-76/स्था0–5/अभि0/2012 लखनऊ दिनांक 29 मई,2012

विषयः–जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन(ए0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक–डी–173/38–2–2012–2(27) डी/98 दिनांक 16–05–2012(छायाप्रति संलग्न) जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, का कृपया अवलोकन करें ,जिसके द्वारा डी0आर0डी0ए0 कर्मियों को ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त के कम में शासनादेश की प्रति इस आशय से संलग्नकर प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजय कुमार उपाध्याय)
अपर आयुक्त,(प्रशासन)
ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– /स्था0–5/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि विशेष सचिव,उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग–2 को उनके पत्र दिनांक 16–05–2012 के अनुपालन में सूचनार्थ।

(अजय कुमार उपाध्याय)
अपर आयुक्त,(प्रशासन)
ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश।

ojha

संख्या-डी-173/38-2-2012-2(27)डी/98

G.O-76/स्था-5/2012
25.5.2012

प्रेषक,

राकेश कुमार ओझा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग
उत्तर प्रदेश
शिविर कार्यालय
प्राप्ति तिथि 22-5-12
संख्या 2421/
निर्गमन तिथि 24-5-12

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अन0-2 लखनऊ दिनांक 16 मई, 2012

विषयः- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए शासनादेश संख्या-डी-799/38-2-2005-2(27)डी/98 दिनांक 11-08-2005 एवं शासनादेश संख्या-डी-549/38-2-2008-2(27)डी/98 दिनांक 25-06-2008 द्वारा लागू की गई समयमान वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की नई व्यवस्था निम्नवत लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(1) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ शासनादेश संख्या-डी-730/38-2-2010-2(106)डी/2008 दिनांक 29 जुलाई, 2010 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा विकल्प की तिथि से अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 29 जुलाई, 2010 से अनुमन्य कराया गया है, को दृष्टिगत रखते हुए जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था का लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से काल्पनिक रूप से अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 29 जुलाई, 2010 से अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में सभी वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पद धारकों हेतु समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था ही लागू रहेगी। परिणाम स्वरूप दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू वेतनमानों में रू0 8000-13500 या उससे उच्च वेतनमान के पदधारकों के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान की दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक की ही प्रभावी पूर्व व्यवस्था अब दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू समझी जायेगी।

अधि0 स्था-5
22/5/12
(अनुराग श्रीवास्तव)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ0प्र0

(2) ग्राम्य विकास अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-डी-799/38-2-2005-2(27)डी/1998 दिनांक 11 अगस्त, 2005 एवं शासनादेश संख्या-डी-549/38-2-2008-2(27)डी/98 दिनांक 25 जून, 2008 द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू वेतनमानों में समयमान वेतनमान की व्यवस्था लागू की गयी थी। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 (1) में यह प्राविधान है कि इस व्यवस्था का प्रथम लाभ (08 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ) दिनांक 01 जनवरी, 1996 अथवा इसके बाद की तिथि से ही अनुमन्य होगा। उक्त व्यवस्था से स्पष्ट है कि समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु दिनांक 01 जनवरी, 1996 से अभिकरण के किसी भी कार्मिक की अधिकतम सेवायें 08 वर्ष ही मानी गयी हैं। इस प्रकार उक्त व्यवस्था से आच्छादित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के किसी भी कार्मिक

24-5-12

P go-2012

को प्रथम पदोन्नतीय वेतनमान/अगला वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 2002 के पूर्व किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगा। इससे स्पष्ट है कि उक्त व्यवस्था से आच्छादित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों को द्वितीय पदोन्नति वेतनमान/अगला वेतनमान पूर्व व्यवस्था में अनुमन्य होने का अवसर नहीं बनेगा। अतः जिन सेवाओं को समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु गणना में लिया गया है, उन्हीं सेवाओं को ही ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु गणना में लिया जायेगा।

(3) (i) ऐसे पद धारक जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में कोई लाभ अनुमन्य नहीं हुआ है उन्हें ए0सी0पी0 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, 16 वर्ष व 26 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा के आधार पर तीन वित्तीय स्तरोन्नयन निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगेः–

**(क)** प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा निरन्तर सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर दिनांक 01–12–2008 या किसी अनुवर्ती तिथि से उपरोक्तानुसार देय होगा।

**परन्तु,**

किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवावधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

**(ख)** प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 06 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरौन्नयन देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

**परन्तु,**

यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा उसके पश्चात् प्राप्त हो जाती है, तो प्रोन्नति की तिथि से 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ही प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा। सम्बन्धित पद पर रहते हुए उक्तानुसार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होगा।

(ii) उपर्युक्तानुसार देय तीन वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही अनुमन्य होंगे।

(iii) सन्तोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पड़ेगा। अर्थात अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना पूर्व वित्तीय स्तरोन्नयन के प्राप्त होने की तिथि से ही की जायेगी।

(iv) ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के पश्चात संवर्ग में प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने की तिथि के पश्चात किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य न होगा। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही संवर्ग में

यदि समान ग्रेड वेतन वाले पद पर पदोन्नति हुई है, तो उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा।

**परन्तु,**

उक्तानुसार पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन ए0सी0पी0 की व्यवस्था से लाभान्वित किसी कनिष्ठ कार्मिक से कम होने की दशा में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के बराबर कर दिया जायेगा।

(v) ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु नियमित सन्तोषजनक सेवा की गणना में प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा।

(4) निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन, शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1314/दस–59(एम)/2008 दिनांक 8 दिसम्बर, 2008के संलग्नक के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व देय ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामलों में सम्बन्धित पद तथा उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे मामलों में सम्बन्धित पदधारक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु ग्रेड वेतन रू0 2000/– को इग्नोर किया जायेगा।

(5) वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी के पदनाम, श्रेणी अथवा प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किन्तु मूल वेतन के आधार पर देय वित्तीय एवं सेवा–नैवृत्तिक तथा अन्य लाभ सम्बन्धित कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित मूल वेतन के आधार पर अनुमन्य होंगे।

(6) यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही/दण्डन कार्यवाही प्रचलन में हो तो ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता उन्हीं नियमों से, शासित होगी जिन नियमों के अधीन उपर्युक्त परिस्थितियों में सामान्य प्रोन्नति की व्यवस्था शासित होती है। अतः ऐसे मामले उत्तरप्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के सुसंगत प्रावधानों एवं जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों के लिए लागू नियमों /निर्देशों से विनियमित होंगे।

(7) यदि कोई कार्मिक किसी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित प्रदोन्नति लेने से मना करता है तो इस कार्मिक को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने के पश्चात सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियमित प्रोन्नति लेने से मना किया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरोन्नयन वापस नहीं लिया जायेगा, तथापि ऐसे कार्मिक को अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु तब तक अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह प्रोन्नति लेने हेतु सहमत न हो जाये। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता हेतु समयावधि की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को सम्मिलित नही किया जायेगा।

(8) ऐसे कार्मिक जो उच्च पदों पर कार्यरत है और उन्हें निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन के समान अथवा निम्न हैं, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा परन्तु सम्बन्धित कार्मिक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता की तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न

पद पर आने की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है तो सम्बन्धित वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा।

(9) प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत कार्मिकों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन, जो लाभप्रद हो, को चुनने का विकल्प होगा।

(10) पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था तथा ए0सी0पी0 की उपर्युक्त नई व्यवस्था के अन्तर्गत एक ही संवर्ग में अनुमन्य कराये गये समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन में सम्भावित किसी अन्तर को विसंगति नहीं माना जायेगा।

2– समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा की गयी व्यवस्था एवं जारी निर्देश दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी यथावत् लागू रहेंगे। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराये जायेंगे।

(1) 08 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा के आधार पर देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि की धनराशि की गणना सम्बन्धित पदधारक को तत्समय अनुमन्य मूल वेतन (वेतन बैण्ड + ग्रेड वेतन) के 3 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि को अगले 10 रूपये में पूर्णांकित करते हुए की जायेगी। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।

(2) (i) 14 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि को सम्बन्धित कार्मिक का वेतन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य करते हुए निर्धारित किया जायेगा और बैण्ड वेतन आपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित बैण्ड वेतन यदि उस ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम बैण्ड, वेतन से कम होता है तो सम्बन्धित पदधारक का बैण्ड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

(ii) प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक को अगली वेतन वृद्धि न्यूनतम छः माह की अवधि के उपरान्त पड़ने वाली पहली जुलाई को ही देय होगी।

**परन्तु,**

प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में अगली पहली जुलाई को किसी अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन उसे यथा स्थिति पद के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में निर्धारित मूल वेतन की तुलना में कम या बराबर हो जाये, तो यथा स्थिति प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्वीकृत करते हुए मूल वेतन पुनर्निर्धारित किया जायेगा।

(iii) वेतन बैण्ड रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– तथा उससे उच्च वेतन बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन के पदों पर समयमान/वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड पूर्व व्यवस्था में अनुमन्य होने पर उक्त उप प्रस्तर–2(i) 2(ii) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(iv) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने की उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी की पदोन्नति उक्तानुसार प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पद पर होने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण 3 प्रतिशत की दर से एक वेतनवृद्धि देते हुए किया जायेगा। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।

(3) संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ अपुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को वही लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम हो जाता है तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ को अनुमन्य वेतन के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।

(4) ऐसे मामलों में जहां किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान भी तद्नुसार परिवर्तित रूप में ही अनुमन्य होगा।

**परन्तु,**

उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। समयमान वेतनमान की व्यवस्था में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का संशोधन भी तद्नुसार किया जायेगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन यथावत अनुमन्य रहेगा।

3– पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) लागू किये जाने की तिथि दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को यदि कोई कर्मचारी धारित पद के साधारण वेतनमान में हैं और उसे सम्बन्धित पद पर समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं हुआ हो, तो ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कर्मचारी के उक्त धारित पद के सन्दर्भ में की जायेगी और ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय सभी लाभ उक्त आधार पर देय होंगे।

ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई समयमान वेतनमान का लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कर्मचारी को अनुमन्य समयमान वेतनमान/लाभ जिस पद के सन्दर्भ में अनुमन्य किया गया है, उस पद के सन्दर्भ में की जायेगी। उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 अथवा उसके उपरान्त काल्पनिक रूप से निम्नानुसार अनुमन्य होंगे और उनका वास्तविक लाभ प्रस्तर–1(1) में इंगित व्यवस्थानुसार देय होंगे:–

(1) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 08 वर्ष तथा 19 वर्ष के आधार पर अनुमन्य अतिरिक्त वेतनवृद्धि को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

(2) जिन्हें 14 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन काल्पनिक रूप से अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ

दिनांक 29–07–2010 से देय होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

(3) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, में समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था दिनांक 30–11–2008 तक की प्रभावी है। इस प्रकार जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के किसी भी कार्मिक को 24 वर्ष की सेवा पर द्वितीय पदोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान का लाभ दिनांक 30–11–2008 तक अनुमन्य होने की स्थिति नहीं बनेगी।

(4) पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400 अथवा इससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि 08 वर्ष की सेवा पर दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका है, उन्हें वैयक्तिक रूप से अनुमन्य ग्रेड वेतन में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन पूर्व में इंगित व्यवस्थानुसार इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि सम्बन्धित कार्मिक अनुमन्यता की तिथि तक वास्तविक रूप से धारित पद से किसी पद पर पदोन्नत न हुआ हो। सेवा अवधि की गणना उस पद पर नियुक्ति की तिथि से प्रस्तर–1(2) की व्यवस्थानुसार की जायेगी, जिस पद के सन्दर्भ में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराया गया था।

(5) किसी संवर्ग में वरिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति के फलस्वरूप अनुमन्य ग्रेड वेतन, कनिष्ठ कर्मचारी को ए0सी0पी0 की व्यवस्था में प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन से निम्न होने की स्थिति का निराकरण किये जाने हेतु सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को निम्नानुसार लाभ अनुमन्य कराया जायेगा:–

"सवर्ग में किसी कर्मचारी को पदोन्नति पद पर प्राप्त होने वाला वित्तीय स्तरोन्नयम ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत किसी कनिष्ठ कर्मचारी को प्राप्त हो रहे वित्तीय स्तरोन्नयन से निम्न होने की स्थिति में वरिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ के समान वित्तीय स्तरोन्नयन, कनिष्ठ को देय तिथि से अनुमन्य कराया जायेगा। उपर्युक्त लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को तभी अनुमन्य होगा, जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिकों की भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्ते समान हों तथा यह भी कि वरिष्ठ कार्मिक की यदि पदोन्नति न हुई होती तो वह निम्न पद पर कनिष्ठ कार्मिक को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन के लिये अर्ह होता।"

(6) दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमानों के संविलियन/पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित पद के साधारण ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नति अथवा प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान को ए0सी0पी0 की व्यवस्था का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

4– वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण संलग्नक–1 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तद्पोरान्त कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त

ग्रेड वेतन से उच्च है, तो बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और सम्बन्धित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा।

5– (1) वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। उक्त स्क्रीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में ऐसे अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।, जिनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन उन कार्मिकों के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके सम्बन्ध में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन श्रेणी–ख के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा।

(2) स्क्रीनिंग कमेटी की प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी तथा जुलाई में सामान्यतः दो बैठकें आयोजित की जायेंगी। माह जनवरी में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह दिसम्बर तक के मामलों पर विचार किया जायेगा तथा माह जुलाई में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह जून तक के मामलों पर विचार किया जायेगा।

(3) उक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अपनी संस्तुतियॉ बैठक की तिथि से 15 दिनों की अवधि में सम्बन्धित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी/वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी।

(4) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

(5) ए0सी0पी0 की उपरोक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या–डी–730/38–2–2010 –2(106)डी/2008 दिनांक 29 जुलाई, 2010 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा।

(6) उपरोक्तानुसार जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के लाभ इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य कराये जायेंगे कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को विभाग भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार अनुमन्य धनराशि से ही वहन करेंगे और किसी योजना के कार्य मद की धनराशि को इस अधिष्ठान व्यय के लिये स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा तथा इस हेतु शासन से अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त अभिकरण में ए0सी0पी0 के व्यवस्था लागू किये जाने के पूर्व सम्बन्धित जनपद के अभिकरण की शासी निकाय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(7) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–यू0ओ0–ई–2–393/10–2012 दिनांक 07–05–2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(राकेश कुमार ओझा)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-9-173(1)/38—2—2012 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अध्यक्ष जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उ0प्र0।
2. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त कोषाधिकारी उ0प्र0।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग—2
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—2 (तीन प्रतियों में)
7. अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरों।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

**(डी0पी0 सिंह)**
उप सचिव।

संलग्नक–1

शासनादेश संख्या–वे-173 /38–2–2012–2(27)डी/98 दिनांक 16 मई 2012 का संलग्नक।

## पुनरीक्षित वेतन संरचना में लागू ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय स्तरोन्नयन में वेतन निर्धारण की प्रकिया।

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर सम्बन्धित कार्मिक का वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–22 बी(1) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। सम्बन्धित कार्मिक को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वित्तीय नियम–23(1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि अथवा अगली वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवा सकता है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:–

(1) यदि सम्बन्धित कार्मिक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर निम्न ग्रेड वेतन की वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है, तो वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि को वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा किन्तु वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। अगली वेतन वृद्धि तिथि अर्थात 01 जुलाई को वेतन पुनर्निर्धारित होगा। इस तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को दो वेतनवृद्धियॉ, एक वार्षिक वेतनवृद्धि तथा दूसरी वेतनवृद्धि वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप देय होगी। इन दोनों वेतन वृद्धियों की गणना वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि के पूर्व के मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। उदाहरण स्वरूप यदि वित्तीय स्तरोन्नयन के अनुमन्य होने की तिथि से पूर्व मूल वेतन रू0 100.00 था, तो प्रथम वेतन वृद्धि की गणना रू0 100.00 पर तथा द्वितीय वेतन वृद्धि की गणना 103.00 पर की जायेगी।

(2) यदि कोई कार्मिक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है, तो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा:–

वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तद्नुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन होगा, जिसके साथ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। जहॉ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में परिवर्तन हुआ हो, वहॉ भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा, तथापि वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद भी जहॉ वेतन बैण्ड में आगणित वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तद्नुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

नोट:– यदि किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई, से 01 जनवरी तक अनमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती–01 जुलाई को देय होगी। उदाहरण– किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जुलाई, 2009 से 01

जनवरी, 2010 तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

यदि वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी। उदाहरण–किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन 02 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2009 तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

---

---